न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
23/2021 प्रा0प0	28.09.2021	07.02.2022

उनवान

सईदा बानु पुत्री रसूल जी जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

...............प्रार्थिया

।। बनाम ।।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री नरेन्द्र सिंह पंवार वकील प्रार्थिया

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम भदेसर पटवार हल्का भदेसर तहसील भदेसर की खाता सं. 36 में दर्ज आराजी नं0 455 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रार्थिया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थिया का नाम सईदा बानू के बजाय वाली अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम सईदा बानू है और यही नाम प्रार्थिया के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड में दर्ज है। उक्त खाते वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिया का नाम सईदा बाानू के बजाय वाली दर्ज हो जाने से प्रार्थिया को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थिया का नाम गलत होने से राज्य सरकार द्वारा किसानो को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओ से भी वंचित हो रही है। इसलिये उपरोक्त खाते वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिया का नाम वाली के बजाय सईदा बानू अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थिया ने हक हिस्से वाली आराजीयात की

Scanned with CamScanner

नकल पटवार हल्का से प्राप्त करने पर प्रार्थिया को उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। जानकारी होते ही उक्त त्रुटि दुरूस्त कर शुद्धिकरण कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिया का नाम वाली के बजाय सईदा बानू अंकित जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा भदेसर खाता संख्या 36
2. आधार कार्ड प्रार्थिया 569918981764
3. जनआधार कार्ड नं. 5045686517
4. मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/19/125/097161
5. बैंक पास बुक की फोटो प्रति

लायक अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थिया राजस्व रेकार्ड में अपना नाम वाली के बजाय सईदा बानू दर्ज कराने की अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया।विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस सुनी गई । प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रतीत होता है कि राजस्व कर्मचारिंयो ने प्रार्थिया का नाम सईदा बानू के बजाय वाली कर दिया गया जो शुद्धि योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थिया की खातेदारी में दर्ज मौजा ग्राम भदेसर पटवार हल्का भदेसर तहसील भदेसर की खाता सं. 36 में दर्ज आराजी नं0 455 रकबा 0.25 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थिया का नाम वाली के बजाय सईदा बानू पुत्री रसूल शुद्धि से इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Scanned with CamScanner